राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई.मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक :– एफ.3 (ख) (एम–57 / 2011) / अलेसे–।। 609-618 दिनांक :– 05.07.2016

आदेश 46 / 2016–17

श्री मुकेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) (लिंक नंबर 9369) जिनकी राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 11.02.2013 है, को परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में ही राजस्थान निजी शिक्षण संस्थाएँ फीस निर्धारण समिति, जयपुर में पदस्थापन के दौरान दिनांक 23.07.2014 को रूपये 10,000 / – की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए जाने पर विभागीय आदेश 6419–6427 दिनांक 25.07.2014 से निलम्बित किया गया एवं दिनांक 10.12.2015 को प्रकरण में प्रथमदृष्ट्या आरोप प्रमाणित मानते हुए उनके विरूद्ध इस विभाग द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पंजीकृत अपराध संख्या 259 / 2014 में अभियोजन स्वीकृति जारी की गई।

श्री मुकेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। का परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं होने एवं उचित आचरण नहीं होने के कारण राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 33 के अनुसार उनकी सेवा समाप्त किए जाने के संबंध में दिनांक 25.08.2015 को नोटिस जारी कर श्री शर्मा को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया गया। श्री शर्मा द्वारा दिनांक 09.09.2015 को इस कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदन में स्वयं को रिश्वत प्रकरण में द्वेषता एवं मतभेद के कारण फँसाया जाने एवं राजकीय सेवा से विमुक्त नहीं करने का अनुरोध किया।

इस विभाग द्वारा प्रकरण के सभी तथ्यों के अवलोकन के पश्चात् प्रथम दृष्टया श्री शर्मा को भ्रष्टाचार में लिप्त मानते हुए अपराध संख्या 259 / 2014 में अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर श्री शर्मा का परीक्षा प्रशिक्षण के दौरान आचरण एवं सेवाएँ संतोषजनक नहीं माने जा सकते हैं।

अतः राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियमों के नियम–33(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मुकेश कुमार शर्मा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की राजकीय सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त (Terminate) की जाती है।

(पंकज भाटी)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.3 (ख) (एम–57 / 2011) / अलेसे–।। 609-618 दिनांक :– 05.07.2016

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस–1, महानिदेशालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. अध्यक्ष, राजस्थान निजी शिक्षण संस्थाएँ फीस निर्धारण समिति, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. उप निदेशक, शिक्षा (माध्यमिक) जयपुर संभाग जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोटा को भेजकर लेख है कि आदेश की प्रति अविलम्ब श्री मुकेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। को तामील करा इस निदेशालय को सूचित करें।
7. श्री मुकेश कुमार शर्मा, सहा. लेखाधिकारी–।। (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) (निलम्बित) मुख्यालय कोषाधिकारी कोटा।
8. संयुक्त निदेशक प्रशासन / जाँच निदेशालय।
9. उप निदेशक (ए.सी.पी.), कम्प्यूटर शाखा वेबसाईट पर अपलोड करने / पी.आई.एस. अपडेशन हेतु।
10. गोपनीय शाखा / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सूची / निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।